

<u>स्कीम का नाम</u>	<u>पात्रता</u>	<u>प्रति माह राशि</u>	<u>संख्या</u>	<u>लागु तिथि</u>
1. वृद्धावस्था पेंशन	1. हरियाणा के निवासी होना चाहिए. 2. 60 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए. 3. इन्कम टैक्स धारक ना हो, डाक्टर, रजिस्टर्ड प्रैक्टीशनर, वकील और उन के बच्चों चर्टिड एकाउंटेन्ट, आयकर प्ररामर्शदाता, वित्तिय सलाहकार, दंत चिकित्सक, ईजीनियर, ठकेदार ना हो।	300 / -	48873	10 / 1987
2. विधवा पेंशन	1. वार्षिक आमदनी 10,000 रूपये से ज्यादा न हो. 2. हरियाणा की निवासी होनी चाहिए. 3. करेपा नहीं कर रखा हो. 4. किसी अन्य स्थान से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करती हो. 5. आयु 18 वर्ष से कम ना हो.	350 / -	15724	10 / 1987
3. विकलांग पेंशन	1. वार्धिक आमदनी 10,000 रूपये से ज्यादा ना हो. 2. हरियाणा का निवासी होना चाहिए. 3. आयु 18 वर्ष से कम न हो. 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया विकलांग पत्र अपगं के लिए 70% से कम न हो, व गुंगा / बहरा / नेत्रहीन 100% से कम न हो. 5. किसी अन्य संस्था / कार्यलाय से आर्थिक सहायता प्राप्त न करता हो.	70% = 300/- 100% = 600/-	5436	10 / 1987
4. लाडली पेंशन	1. हरियाणा का निवासी होना चाहिए. 2. आयु 45 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा न हो. 3. प्रार्थी के पास केवल लड़कियां होनी चाहिए और कोई निस्तांन व्यक्ति अगर कोई लडकी गोद लेता है तो यह लाभ ले सकता है।	500 / - प्रतिमाह	502	01 / 4 / 07
5. F.A.D.C.	1. हरियाणा का मूल निवासी हो. 2. फार्म राजपत्रिक अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और आय 10 हजार रूपये से ज्यादा न हो।	100रू./बच्चा/माह	1106 बच्चे	01 / 4 / 06

	3. प्रार्थी के बच्चे स्कूल में अध्ययनरत होने चाहिए.			
	4. फार्म के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र / राशन कार्ड की फोटो प्रति सत्यापित संलग्न होनी चाहिए.			
	5. अगर आवेदक विकलांग हो तो विकलांग प्रमाण पत्र 100% होना चाहिए।			
6. बोना पेंशन योजना	1. हरियाणा का मूल निवासी हो.	300 /—	NIL	01 / 6 / 06
	2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र हो.	प्रतिमाह		
	3. प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो.			
7. किनर	1. हरियाणा में कम से कम 5 वर्ष से रहता हो.	300 /—	NIL	01 / 4 / 06
	2. आयु 18 वर्ष से कम न हो.	प्रतिमाह		
	3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए.			
8. कश्मीरी पंडित	1. हरियाणा में कम से कम 5 वर्ष तक स्थाई निवासी हो	1000 /—	60 परिवार	07 / 06
	2. आवेदक अपने परिवार के साथ रहता हो। मासिक	प्रति परिवार		
9. राजीव गांधी बीमा योजना.	1. हरियाणा का मूल निवासी हो.	एक लाख रूपयें	280	1 / 4 / 07
	2. मृत्यु की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो व 60 वर्ष से अधिक ना हो.			
	3. मृत्यु की प्रथम सूचाना रिपोर्ट / पोस्टमार्टम की फोटो प्रति सत्यापित होनी चाहिए.			
	4. मृत्यु किसी सरकारी / अर्धसरकारी संस्थान में कार्यरत ना हो.			
	5. अप्राकृतिक मौत पर ही इस स्कीम का लाभ दिया जाता है।			
	6. आवेदन पत्र एक वर्ष के अन्दर—2 जमा करा सकता हो।			
10. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1. हरियाणा का मूल निवासी हो.	10,000 /—	95	1 / 4 / 07
	2. आयु 18 वर्ष से कम 64 वर्ष से अधिक ना हो.			
	3. मृत्यु का गरीबी रेखा सुचि में नाम दर्ज होना चाहिए.			
	4. प्रार्थी ने दोबारा शादी / करेपा न कर रखा हो.			
	5. परिवार का मुखिया हो.			

11. बेरोजगारी भत्ता

1. हरियाणा का स्थाई निवासी हो.
2. रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष से नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए.
3. किसी भी प्रकार की नोकरी नहीं करता हो.

15

1/1/06

आठवी + डिप्लोमा सहित	=	1000/- प्रतिमाह
दसवी + डिप्लोमा सहित	=	1000/- प्रतिमाह
दसवी + डिप्लोमा/ बी.ए.	=	1500/- प्रतिमाह
बी.ए. + डिप्लोमा/डिग्री	=	2000/- प्रतिमाह

12. छात्र वृत्ति

1. हरियाणा का स्थाई निवासी हो.
2. 40% या अधिक विकलांग होना चाहिए.
3. विकलांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हो.
4. मान्यता प्राप्त /सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता हो.
5. प्रथम कक्षा से पांचवी = 100रु प्रतिमाह
पांचवी से दसवी तक = 120रु प्रतिमाह
दसवी से बी.ए. तक = 150रु प्रतिमाह

92

1/4/07